

न्यायायालय उप जिलाधिकारी, फरीदपुर (बरेली)

वाद सं0 टी20171213 | १०३४४

घासा-४७(१)उ०प्र० राजस्व संहिता २००६

ग्राम: उदयपुर मोहन लाल

तहसील फरीदपुर जिला बरेली

उत्तर प्रदेश सरकार

सचिन अग्रवाल आदि

ବନ୍ଦାମ

निर्णय आदेश नं. २५-१७

पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे विदित होता है कि इस वाद की कार्यवाही द्रस्टी श्री सचिन अग्रवाल पुत्र स्थ० प्रेम नरायण अग्रवाल निवासी 24 रेजीडेंसी गार्डन बरेली, द्रस्टी भरत अग्रवाल पुत्र सुधाषु अग्रवाल निवासी रामपुर गार्डन बरेली, द्रस्टी मनीष गोपल पुत्र सुभाष चन्द्र गोपल निः ० रामपुर गार्डन बरेली के प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भ हुई। वादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि आराजी गाटा संख्या ४५०, ८६५० ग्राम उदयपुर मोहनलाल परगना व तहसील फरीदपुर जिला बरेली में स्थित है। वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा व दखल है, एवं अकृषिक कार्य में प्रयुक्त हो रही है। वादी वादग्रस्त आराजी को अकृषिक घोषित करना चाहता है, तथा माननीय न्यायालय द्वारा अकृषिक घोषित कराया जाना कानूनी रूप से उचित व आवश्यक है। वादग्रस्त आराजी को अकृषिक घोषित किये जाने से राज्य सरकार को भविष्य में पर्याप्त आय स्थाप्य शुल्क आदि के रूप में प्राप्त होने की प्रवल सम्भावना है। वाद ग्रस्त आराजी विवाद रहित है। माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है, तथा माननीय न्यायालय को वाद उपरोक्त की सुनवाई किये जाने का पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की तहसीलदार फरीदपुर द्वारा जाच कशी गई जानकारी तहसीलदार फरीदपुर दिनांक 22.04.2017 को प्राप्त हुई। तहसीलदार फरीदपुर ने अपनी जाच आख्या में अंकित किया कि याम उदयपुर मोहनलाल के खाता सं0 36 गाटा संख्या 84मि० रकवा 0.354ह०० व खाता सं0 12 गाटा सं0 86मि० रकवा 1.546ह०० में से 0.773 का उपयोग कृपि कार्य 0.354ह०० व खाता सं0 12 गाटा सं0 86मि० रकवा 1.546ह०० में से 0.773 का उपयोग कृपि बागवानी या पशु पालन जिसके अन्तर्गत मत्त्य सम्बद्ध कुकुल पालन भी आता है भूमि पर कृपि बागवानी या पशु पालन भी आता है। उक्त क्षेत्रफल अकृपिक है। अतः याम उदयपुर भावनलाल के खाता कार्य नहीं किया जा रहा है। उक्त क्षेत्रफल अकृपिक है। अतः याम उदयपुर भावनलाल के खाता सं0 36 गाटा संख्या 84मि० रकवा 0.354ह०० व खाता सं0 12 गाटा सं0 86मि० रकवा 1.546ह०० में सं0 36 गाटा संख्या 84मि० रकवा 0.354ह०० व खाता सं0 12 गाटा सं0 86मि० रकवा 1.546ह०० में से 0.773ह०० को उत्तराय राजस्व सहित 2006 की धारा 80(1) के अन्तर्गत अवृष्टिक स्थेत्रित किये जाने की संस्तुति सहित रिपोर्ट प्रेषित की गई है। वादी द्वारा उदघोषणा: पुल्क जौ (जिलाधिकारी बरेली द्वारा निर्धारित सर्किल रेट) राजस्व नियमावली 2016 के अनुसार आगणित पुल्क 37,000/- जो संलग्न पत्रावली चालान द्वारा भारतीय रेट वैक शाखा फरीदपुर में जमा किया जा चुका है। जिसकी प्रति पत्रावली के साथ संलग्न है। तहसीलदार रिपोर्ट पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र तथा तहसीलदार की आख्या से सहमत होते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने शेय्य है।

उर्ध्वकृत के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 03.04.2017 तथा तहसीलदार फरीदपुर की जांच आख्या दिनांक 22.04.2017 स्पीकर की जाती है, भूमि स्थित ग्राम उदयपुर मोहनलाल परगना व तहसील फरीदपुर के खाता सं० 36 गाटा संख्या 84मि० रकवा 0.354हें० व खाता सं० 12 गाटा सं० 86मि० रकवा 1.546हें० में से रकवा 0.773हें० अकृषिक घोषित किया जाता है। आदेश की दो प्रति उपनिवन्धक फरीदपुर को इस आशय से भेजी जाये, कि वह प्रश्नगत आराजी को निःशुल्क अकृषिक भूमि पंजीकृत कर अनुपालन उपरान्त एक प्रति न्यायालय को वापस करें, बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

विज्ञानकृतः—



तथा अपनी प्राप्ति के लिए विदेशी बैंकों से लोन लेने की अनुमति दी गई।

卷之三

(पारस नाथ मौर्य)

उपजिलाधिकारी

न्यायालय उप जिलाधिकारी, फरीदपुर (बरेली)

वाद सं ० टी20171213 ॥ ० ३२०६४

धारा-८०(१)उ०प्र० राजस्व संहिता 2006

ग्राम: उदयपुर मोहन लाल

तहसील फरीदपुर जिला बरेली

श्री राम चैरेटेबिल द्रस्ट स्थित द्रस्टी सचिन अग्रवाल आदि
बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार।

जवाली निर्णय आदेश दिनांक 10/४/१७

पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे विदित होता है कि इस वाद की कार्यवाही श्री राम चैरेटेबिल द्रस्ट स्थित द्रस्टी स्थित 24 रेजीडेन्सी गार्ड स्टेडियम रोड बरेली द्रस्टी सचिन अग्रवाल पुत्र श्री प्रेमनरायन अग्रवाल निवासी 24 रेजीडेन्सी गार्डन स्टेडियम रोड बरेली एवं भरत अग्रवाल पुत्र श्री सुधांशु अग्रवाल निवासी रामपुर गार्ड बरेली एवं मनीष गोयल पुत्र श्री सुभाष चन्द्र गोयल निवासी रामपुर गार्ड बरेली के प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भ हुई। वादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि आराजी गाटा संख्या 84मि०, 81, व 82 ग्राम उदयपुर मोहनलाल परगना व तहसील फरीदपुर जिला बरेली में स्थित है। वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा व दखल है, एवं अकृषिक कार्य में प्रयुक्त हो रही है। वादी वादग्रस्त आराजी को अकृषिक घोषित कराना चाहता है, तथा माननीय न्यायालय द्वारा अकृषिक घोषित किये जाने से राज्य सरकार को भविष्य में पर्याप्त आय स्टाम्प शुल्क आदि के रूप में प्राप्त होने की प्रबल सम्भावना है। वाद ग्रस्त आराजी विवाद रहित है। माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है, तथा माननीय न्यायालय को वाद उपरोक्त की सुनवाई किये जाने का पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की तहसीलदार फरीदपुर द्वारा जांच कराई गई, जांच आख्या आख्या में अंकित किया कि ग्राम उदयपुर मोहनलाल के खाता सं० ०६ गाटा संख्या 84मि० रकवा ०.३५४हे० में से १/२ अर्थात् ०.१७७हे० व खाता सं० १३ गाटा सं० ८१ रकवा ०.१३९हे० व गाटा सं० ८२ रकवा ०.२५३हे० कुल रकवा ०.५६९हे० का उपयोग कृषि कार्य बागवानी या पशु पालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य सम्बर्धन कुकुट पालन भी आता है, भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। उक्त क्षेत्रफल अकृषिक है। अतः ग्राम उदयपुर मोहनलाल के खाता सं० ०६ गाटा संख्या 84मि० रकवा ०.३५४हे० में से १/२ भाग ०.१७७हे० व खाता सं० १३ गाटा सं० ८१ रकवा ०.१३९हे० व गाटा सं० ८२ रकवा ०.२५३हे० कुल रकवा ०.५६९हे० को उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा ८०(१) के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति सहित रिपोर्ट प्रेषित की गई है। वादी द्वारा उद्घोषणा शुल्क जो (जिलाधिकारी बरेली द्वारा निर्धारित सर्किल रेट) राजस्व नियमावली 2016 के अनुसार आगणित शुल्क 20,000/- जो संलग्न पत्रावली चालान द्वारा भारतीय स्टेट बैंक शाखा फरीदपुर में जमा किया जा चुका है। जिसकी प्रति पत्रावली के साथ संलग्न है। तहसीलदार रिपोर्ट पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र तथा तहसीलदार की आख्या से सहमत होते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।


आदेश

उपर्युक्त के आधार पर वादी गण सचिन अग्रवाल पुत्र श्री प्रेमनरायन अग्रवाल निवासी 24 रेजीडेन्सी गार्डन स्टेडियम रोड बरेली एवं भरत अग्रवाल पुत्र श्री सुधांशु अग्रवाल निवासी रामपुर गार्ड बरेली एवं मनीष गोयल पुत्र श्री सुभाष चन्द्र गोयल निवासी रामपुर गार्ड बरेली का प्रार्थना पत्र दिनांक 03.07.2017 तथा तहसीलदार फरीदपुर की जांच आख्या दिनांक 09.08.



2017 स्वीकार की जाती है, भूमि स्थित ग्राम उदयपुर मोहनलाल परगना व तहसील फरीदपुर के खाता सं० 06 गाटा संख्या 84मि० रकवा 0.354ह० में से 1/2 भाग अर्थात् 0.177ह० व खाता सं० 13 गाटा सं० 81 रकवा 0.139ह० व गाटा सं० 82 रकवा 0.253ह० कुल रकवा 0.569ह० अकृषिक घोषित किया जाता है। आदेश की दो प्रति उपनिवन्धक फरीदपुर को इस आशय से भेजी जाये, कि वह प्रश्नगत आराजी को निःशुल्क अकृषिक भूमि पंजीकृत कर अनुपालन उपरान्त एक प्रति न्यायालय को वापस करें, बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:- १०/८/१७


(कुंवर पंकज)
उपनिवासिकारी
फरीदपुर

मुकेश वाणी नाम संख्या २२
१३ दिनांक १०-८-१७
नकल बाजार
५८ निवास नं० १४१
लगभग ५००





न्यायालय उप जिलाधिकारी, फरीदपुर (बरेली)

बाद सं० टी2017121311032069

धारा-८०(१)उ०प्र० राजस्व संहिता 2006

ग्राम: उदयपुर मोहन लाल

तहसील फरीदपुर जिला बरेली

उत्तर प्रदेश सरकार।

श्री राम चैरेटेबिल ट्रस्ट बनाम उपजिलाधिकारी अदेश दिनांक ०८-०८-१७

पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे विदित होता है कि इस बाद की कार्यवाही श्री राम चैरेटेबिल ट्रस्ट स्थित ट्रस्टी स्थित 24 रेजीडेन्सी गार्ड स्टेडियम रोड बरेली ट्रस्टी सचिन अग्रवाल पुत्र श्री प्रेमनरायन अग्रवाल निवासी 24 रेजीडेन्सी गार्डन स्टेडियम रोड बरेली एवं भरत अग्रवाल पुत्र श्री सुधांशु अग्रवाल निवासी रामपुर गार्ड बरेली एवं मनीष गोयल पुत्र श्री सुभाष चन्द्र गोयल निवासी रामपुर गार्ड बरेली के प्रार्थना पत्र पर पारम्पर हुई। बादीगण ने अपने प्रार्थना ग्रन्थ में अंकित किया है कि आराजी गाटा संख्या ८६मि० ग्राम उदयपुर मोहनलाल परगना व तहसील फरीदपुर जिला बरेली में स्थित है। बादग्रस्त भूमि पर बादी का कब्जा व दखल है, एवं अकृषिक कार्य में प्रयुक्त हो रही है। बादी बादग्रस्त आराजी को अकृषिक घोषित कराना चाहता है, तथा माननीय न्यायालय द्वारा अकृषिक घोषित कराया जाना कानूनी रूप से उचित व आवश्यक है। बादग्रस्त आराजी को अकृषिक घोषित किये जाने से राज्य सरकार को भविष्य में पर्याप्त आय स्टाम्प शुल्क आदि के रूप में प्राप्त होने की प्रबल सम्भावना है। बादग्रस्त आराजी विवाद रहित है। माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है, तथा माननीय न्यायालय को बाद उपरोक्त की सुनवाई किये जाने का पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की तहसीलदार फरीदपुर द्वारा जांच कराई गई, जांच आख्या तहसीलदार फरीदपुर दिनांक ०९.०८.२०१७ को प्राप्त हुई। तहसीलदार फरीदपुर ने अपनी जांच आख्या में अंकित किया कि ग्राम उदयपुर मोहनलाल के खाता सं० १२ गाटा संख्या ८६मि० रकवा १.५४६ह० में से ०.१४०ह० का उपयोग वृष्टि कार्य बागवानी या पशु पालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य सम्बर्धन कुकुकुट पालन भी आता है, भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। उक्त क्षेत्रफल अकृषिक है। अल: ग्राम उदयपुर मोहनलाल के खाता सं० १२ गाटा संख्या ८६मि० रकवा १.५४६ह० में से ०.१४०ह० को उ०प्र० राजस्व संहिता २००६ की धारा ८०(१) के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति सहित रिपोर्ट प्रेषित की गई है। बादी द्वारा उद्धोषणा शुल्क जो (जिलाधिकारी बरेली द्वारा निर्धारित सर्किल रेट) राजस्व नियमावली २०१६ के अनुसार आगणित शुल्क ४,००/- जो संलग्न पत्रावली चालान द्वारा भारतीय स्टेट बैंक शाखा फरीदपुर में जमा किया जा चुका है। जिसकी प्रति पत्रावली के साथ संलग्न है। तहसीलदार रिपोर्ट पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र तथा तहसीलदार की आख्या से सहमत होते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

उपर्युक्त के आधार पर बादी गण सचिन अग्रवाल पुत्र श्री प्रेमनरायन अग्रवाल निवासी 24 रेजीडेन्सी गार्डन स्टेडियम रोड बरेली एवं भरत अग्रवाल पुत्र श्री सुधांशु अग्रवाल निवासी रामपुर गार्ड बरेली एवं मनीष गोयल पुत्र श्री सुभाष चन्द्र गोयल निवासी रामपुर गार्ड बरेली का प्रार्थना पत्र दिनांक ०३.०७.२०१७ तथा तहसीलदार फरीदपुर की जांच आख्या दिनांक ०९.०८.२०१७ स्वीकार की जाती है, भूमि स्थित ग्राम उदयपुर मोहनलाल परगना व तहसील फरीदपुर के खाता सं० १२ गाटा संख्या ८६मि० रकवा १.५४६ह० में से ०.१४०ह० अकृषिक घोषित किया जाता है। आदेश की दो प्रति उपनिवन्धक फरीदपुर को इस आशय से भेजी जाये, कि वह प्रसन्नगत आराजी को निशुल्क अकृषिक भूमि पंजीकृत कर अनुपालन उपरान्त एक प्रति न्यायालय को वापस करें, बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-

पत्र का नं० अनुक्रमीकृत नं० १४८/७
तकलीफ नं० ३३०/८०१७
तकलीफ नं० ३३०/८०१७
तकलीफ नं० ३३०/८०१७

तथा प्राप्त ग्राम सम्बाध

..... १४८

दृस्तान्त उपर्युक्त
(कुवर पंकज)
उपजिलाधिकारी
फरीदपुर